

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी है</p>
<p>19-1-16</p>	<p>8225 पत्रावली पेश हुई/वकील बाबी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....19-1-16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर</p>	
<p>12-3-16</p>	<p>23216 पत्रावली पेश हुई/वकील बाबी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....12-3-16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">रीडर</p>	
<p>21/4/16 11/3/16</p>	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्तु विभाजन स्कीम पत्रांक दि० 23-2-16 को पेश हो</p> <p>वकील उभयपक्ष उपस्थित है। नायक तदसीलदार तलावडा के यहाँ से विभाजन स्कीम प्राप्त हो चुकी है। विभाजन स्कीम से वादी के वकील सहमत है। अतः नायक तदसीलदार तलावडा के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(रवि कुमार शर्मा) संयोजक सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(गौरधन लाल शर्मा) सेवानिवृत्त तदसीलदार सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी</p> </div> </div>	

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

18/2015

10.06.2014

12.03.2016

पुत्र बरदा, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगपुरसिटी

—वादी

**बनाम**

1. बदरी पुत्र गिर्राज, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगपुरसिटी
2. मीठया पुत्र काडया, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगपुरसिटी
3. ब्रह्मसिंह पुत्र रामस्वरूप, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगपुरसिटी
4. सुरज्या पुत्र भौर्या, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगपुरसिटी
5. राजू पुत्र भौर्या, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगपुरसिटी
6. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगपुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगपुर सिटी

—प्रतिवादीगण

**दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थित:— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री दामोदरलाल गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी नं० 6 की ओर से

**निर्णय**

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2, 4 व 5 एवं प्रतिवादी सं० 3 के मृतक पिता रामस्वरूप पुत्र चन्द्रा की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख०नं० 227 रकबा 87 एयर, 272 रकबा 77 एयर कुल रकबा 1.64 हैक्टर ग्राम भांवता में स्थित है। इस भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 बदरी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 मीठया का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4, 5 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 3 ब्रह्मसिंह के पिता रामस्वरूप का 1/8 हिस्सा मुताबिक जमाबंदी सं० 2068-71 दर्ज है। रामस्वरूप का कुछ समय पूर्व देहावसान हो चुका है। रामस्वरूप की पत्नि का पूर्व में ही देहावसान हो चुका है। रामस्वरूप का एकमात्र पुत्र प्रतिवादी नं० 3 ही है। इसके नाम अभी नामान्तरकरण नहीं खुला है परन्तु यह अपने पिता की भूमि पर काबिज है। भूमि ख०नं० 227, 272 को मौके पर खातेदारों ने अन्दाजे से बांट रखी है इसलिए भूमि काश्त करते समय विवाद होता है। खेती करने में भी समस्या आती है। वादी ने दिनांक 31.5.2014 को प्रतिवादीगण से तहसीलदार जी गंगपुर सिटी के यहां चलकर भूमि का सहमति से विभाजन कराने को कहा परन्तु प्रतिवादी सं० 1 लगायत 5 राजी नहीं हुए। प्रतिवादी सं० 3 ब्रह्मसिंह के पिता रामस्वरूप ने भूमि प्रतिवादी सं० 6 के यहां रहन रखी हुई है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि भूमि ख०नं० 227 रकबा 87 एयर, 272 रकबा 77 एयर ग्राम भांवता का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर वादी को कुल भूमि में से आधा हिस्सा दिलाया जावे, भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे व लगान का अलग से निर्धारण किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं० 6 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि उपरोक्त

हिस्सा 1/8 को बैंक के यहां रहन रखा है एवं ऋण लिया है जो अभी बकाया है। इस ऋण की अदायगी जब तक बैंक को नहीं हो जाती है एवं बैंक रहन नहीं हटता है तब तक यह दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी पंजाब नेशनल बैंक मय खर्चा खारिज करना जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं० 2068 से 2071, नकल नक्शा ट्रेस पेश किए हैं।

वादी का वाद दिनांक 3.11.2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाई गई। नायब तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम प्राप्त होकर पत्रावली में शामिल है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना गया। उभयपक्षकारों विद्वान वकीलों ने नायब तहसीलदार तलावडा के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने का अनुरोध किया है।

#### आदेश

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. परमा पुत्र बरधा, गुर्जर, कुनकटाकला की खातेदारी में भूमि ख०नं० 227/1 रकबा 0.82 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
2. ब्रह्मसिंह पुत्र रामस्वरूप, गुर्जर, कुनकटाकलां राहिन इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख०नं० 272/1 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
3. बदरी पुत्र गिराज, गुर्जर, कुनकटाकलां की खातेदारी में भूमि ख०नं० 227/2 रकबा 0.05 हैक्टर, ख०नं० 272/2 रकबा 0.16 हैक्टर कुल रकबा 0.21 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
4. मीठया पुत्र काडया, गुर्जर, कुनकटाकलां की खातेदारी में भूमि ख०नं० 272/3 रकबा 0.21 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
5. सुरज्या, राजू पिता भोरया, गुर्जर, कुनकटाकलां की खातेदारी में भूमि ख०नं० 272/4 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज की जाकर पृथक पृथक खाते एवं पृथक पृथक लगान कायम किया जावे। इसी अनुसार राजरव अनिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



( मुनिदेव यादव )  
उप जिला कलेक्टर  
उप जिला कलापुर सिटी  
गंगापुर सिटी

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी  
इकलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0  
उनवान

परमा पुत्र बरदा, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगापुरसिटी ---वादी  
बनाम

1. बदरी पुत्र गिर्राज, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगापुरसिटी
2. नीठया पुत्र काडया, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगापुरसिटी
3. ब्रह्मसिंह पुत्र रामस्वरूप, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगापुरसिटी
4. सुरज्या पुत्र भौरया, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगापुरसिटी
5. राजू पुत्र भौरया, गुर्जर निवासी कुनकटाकलां तहसील गंगापुरसिटी
6. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 18/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री दामोदरलाल गर्ग, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व वादी का वाद डिक्री किया जाता है। नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. परमा पुत्र बरधा, गुर्जर, कुनकटाकलां की खातेदारी में भूमि ख0नं0 227/1 रकबा 0.82 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
2. ब्रह्मसिंह पुत्र रामस्वरूप, गुर्जर, कुनकटाकलां राहिन इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख0नं0 272/1 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
3. बदरी पुत्र गिर्राज, गुर्जर, कुनकटाकलां की खातेदारी में भूमि ख0नं0 227/2 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 272/2 रकबा 0.16 हैक्टर कुल रकबा 0.21 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
4. नीठया पुत्र काडया, गुर्जर, कुनकटाकलां की खातेदारी में भूमि ख0नं0 272/3 रकबा 0.21 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।
5. सुरज्या, राजू पिता भोरया, गुर्जर, कुनकटाकलां की खातेदारी में भूमि ख0नं0 272/4 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम भांवता रहेगी ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज की जाकर पृथक पृथक खाते एवं पृथक पृथक लगान कायम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.03.2016 को जारी किया गया ।

  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी



मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		